


न्यायालय :— श्रीमान् राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

77

प्रक्र. :-

पेशी दिनांक :— २३.७.२०१५



सुबोध कुमार अग्रवाल बल्द हुकुम चंद्र अग्रवाल पेशा शेयर ब्रोड. ८०प्र० फुटेरा वार्ड नं.-२ दमोह

.....आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

फा/३६९/II/१५

म०प्र० शासन

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा ५० म०प्र० भ०० राजस्व संहिता।

यह कि पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त महोदय सागर के प्रकरण संख्या 282 अ 6/14-15 दिनांक 14/09/2015 को पारित आदेश से व्यक्ति होकर यह पुनरीक्षण अन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित मुख्य आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है।

मामले के तथ्य :— मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता ने एक नामांतरण आवेदन श्रीमान् सहायक अधीक्षक नजूल (नवकरण) दमोह के राजस्व प्रकरण क्र. 169 अ/6/वर्ष 2010-11 पक्षकार सुबोध अग्रवाल विरुद्ध म०प्र० शासन के द्वारा सेल की गई संपत्ति सचिव पुर्नवास विभाग भोपाल के पुर्नवास अधिरियम 1954 (THE DISPLACES PERSONS (COMPENSATION AND REHABILATION) act 1954 act no. 44 OF 1954 के रूल 90 (5) एवं रूल 91 (8) के तहत संपत्ति को क्य करने के पश्चात् नामांतरण आवेदन प्रस्तुत करने पर रिकार्ड को सुधार न करने पर की गलती से व्यक्ति होकर यह निगरानी पेश है।

अ. यह कि माननीय भारत सरकार द्वारा 1956 से 1970 तक भारत वर्ष में सभी स्थानों पर शरणार्थियों को व्यवसाय हेतु सेल प्रमाण पत्र जारी कर दुकाने नीलामी के तहत विक्रय की थी। उसी संदर्भ में दमोह स्थित कोठो का नक्शा स्वीकृत कर विक्रय प्रमाण पत्र जारी किए थे। जो कि दस्तावेज क्र. 1 दिनांक 04/04/1958 है।

ब. यह कि शासन को सेल प्रमाण पत्र 90 (5) एवं 91(8) THE DISPLACES PERSONS COMPENSATION AND REHABILATION ACT 1954 ACT NO 44 OF 1954 के तहत जारी सेल प्रमाण पत्र के पश्चात् नजूल खसरा पंजीयन में तत्काल सुधार किया जाना था जो कि आज दिनांक तक नहीं किया गया है एवं नहीं किया जा रहा है।

स. यह कि अनुविभागीय अधिकारी दमोह द्वारा अपने पत्र दिनांक 30/05/2012 के द्वारा म०प्र० पुर्नवास विभाग भोपाल से यह जानकारी चाही गई थी। कोठा क्र. 1 कृष्णामल कोठा कमांक 2 हेरूमल कोठा क्र. 3 से 5 शीतलदास कोठा क्र. 6 नारायण दास को एवं कोठा क 7 होरोमल को प्रदाय किया था। एवं अन्य कोठा अन्य व्यक्तियों को जारी किए थे। दस्तावेज (2) इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के बार-बार पत्र जारी किया किन्तु शासन म.प्र के पुर्नवास विभाग द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। पुनरीक्षण कर्ता ने भी पुर्नवास विभाग भोपाल के कई चक्कर लगाए माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, शासन भोपाल के समक्ष शिकायत भी दर्ज की प्रकरण को माननीय पुर्नवास विभाग द्वारा संज्ञान में लेते हुए राजस्व निरीक्षक

1/4 ४/८

Deddy S

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—

प्रकरण क्रमांक 3369-दो / 2015 निगरानी

जिला दमोह

स्थान तथा

दिनांक

कर्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों आ
हस्ताक्षर

५-११-१६

पूर्व पेशी 24-5-16 को उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने जा चुके हैं। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अतिरिक्त आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 284 अ-6/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-9-2015 के विलम्ब मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारोंश यह है कि आवेदक ने सहायक अधीक्षक भू अभिलेख नजूल नवकरण दमोह के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मौजा दमोह नगर की नजूल शीट क्रमांक 42 प्लाट नंबर 214/1 में से रकबा 832 वर्गफुट (आगे जिसे वादग्रस्त संपत्ति अंकित किया गया है) पर नामान्तरण किये जाने की प्रार्थना की। सहायक अधीक्षक नजूल नवकरण जे प्रकरण क्रमांक 159 अ-6/2010-11 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 12-9-11 पारित करके आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विलम्ब अनुविभागीय अधिकारी, दमोह के समक्ष अपील क्रमांक 27/2011-12 अ-6 प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 19-12-2014 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विलम्ब अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील क्रमांक 284/अ-6/14-15 प्रस्तुत हुई, जो आदेश दिनांक 14-9-2015 से निरस्त हुई। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति इस प्रकार है कि वादग्रस्त संपत्ति को आवेदक ने पुर्णवास अधिनियम 90 (5) एवं नियम 91 (8) के अंतर्गत होना बताया है एवं यह भी बताया है कि भारत सरकार द्वारा सन् 1956 से 1957 के बीच भारत वर्ष में देश विभाजन उपरांत आये सिव्ही शरणार्थियों को व्यवसाय हेतु सेल प्रमाण पत्र जारी करके दुकानें नीलाम कर विकीर्त की गई थी एवं शरणार्थियों का व्यवस्थापन किया गया था। वादग्रस्त संपत्ति भी इसी कम में है। प्रकरण में आये

तथ्यों से यह निर्विवाद है कि दमोह स्थित बाराक्कारी सिविल बार्ड का शीट क्रमांक 42 प्लाट नंबर 214(1) पर मेनेजिंग आफीसर इन्डौर ने 50 कोठे का तत्समय नवशा तैयार कराकर एंव स्वीकृत कर विक्य प्रमाण पत्र जारी किये हैं और यह भूमि विक्य स्वरूप नीलामी में प्राप्त होने के कारण निजी संपत्ति है।

4/ प्रकरण में यह भी तथ्य सामने आया है कि वादग्रस्त संपत्ति नीलामी में शीतलदास सिन्धी को सन् 1956 से 1957 में मिली थी एंव उसके द्वारा इसी संपत्ति को 27-10-66 को जगरानी को विक्य कर दिया था और जगरानी द्वारा इसी संपत्ति को सुरेश मोदी को विक्य किया है और सुरेश मोदी ने वादग्रस्त संपत्ति को आवेदक को दिनांक 3 जून 2011 विक्य किया है। जहाँ तक वादग्रस्त संपत्ति का नजूल में नामान्तरण न होने का प्रश्न है नामान्तरण मात्र राजस्व अभिलेख अद्वतन रखने की प्रक्रिया है जिसे अद्वतन रखने का दायित्व राजस्व कर्मकारों का है। प्रकरण में मूल आधार यह है कि उप पंजीयकों द्वारा विक्य पत्र किस आधार पर निष्पादित किये जाते रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा स्वामित्व के अभिलेख के सत्यापन उपरांत ही विक्य पत्र संपादित किये गये हैं। प्रथम विक्य पत्र 1956 से 1957 के बीच भारत वर्ष में देश विभाजन उपरांत आये शीतलदास सिन्धी के हित में मैनेजिंग आफीसर इन्डौर ने 50 कोठे का तत्समय नवशा तैयार कराकर एंव स्वीकृत कर वादग्रस्त संपत्ति का विक्य प्रमाण पत्र जारी किया है। इसी विक्य पत्र के आधार पर स्वामित्व प्रमाण पत्र के सत्यापन पर उप पंजीयक ने तत्समय जगरानी के हित में हुये वादग्रस्त संपत्ति के विक्य पत्र को संपादित किया है। जगरानी द्वारा इसी संपत्ति को सुरेश मोदी को विक्य किया है तथा सुरेश मोदी के पास संपत्ति आने पर उसके द्वारा आवेदक को संपत्ति पंजीकृत विक्य पत्र से विक्य की है। प्रकरण में आये तथ्यों से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादग्रस्त संपत्ति वर्ष 1956 से 1957 से निरन्तर निम्नानुसार व्यक्तियों के स्वामित्व एंव कब्जे में रही है :-

वर्ष 1956 से 1957 से शीतलदास सिन्धी

तदुपरांत जगरानी

तदुपरांत सुरेश मोदी

दिनांक 3 जून 2011 से सुबोधकुमार

वर्ष 1956 एंव 1957 को व्यतीत हुये आज की स्थिति में 60 वर्ष हैं अर्थात् 60 वर्ष के अंतराल तक उक्तानुसार व्यक्ति निरन्तर काविज होकर विधिवत् भूमि का

५१

प्र०क० ३३६९-दो/२०१५ निगरानी

अंतरण करते आ रहे हैं जिसके स्वामित्व का सत्यापन म०प्र०शासन के उप पंजीयकों द्वारा विभिन्न विक्य पत्रों के पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर किया है एंव विक्य पत्र पंजीयन किये हैं। यह भी विचार योग्य है कि यदि वादग्रस्त संपत्ति नजूल विभाग की अथवा मध्य प्रदेश शासन के स्वामित्व की थी, तब वर्ष १९५६ एंव १९५७ से राजस्व अधिकारियों ने ६० वर्ष के अंतराल तक वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अतिक्रमण वावत् कार्यवाही भी नहीं की है। निरन्तर ६० वर्ष से चले आ रहे स्वामित्व की भूमि एंव मैनेजिंग आफीसर इन्डौर द्वारा वर्ष १९५६ एंव १९५७ में शिव्यी शरणार्थियों को आवंटित भूमि को आज की स्थिति में शासकीय नहीं माना जा सकता और पंजीकृत विक्य पत्र के आधार पर आवेदक द्वारा अर्जित बैध स्वत्वों को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता, जब तक कि आवेदक के हित में संपादित विक्य पत्र दिनांक ३ जून २०११ को सक्षम न्यायालय शून्य घोषित न कर दे। इन्हीं कारणों से आवेदक विक्य पत्र दिनांक ३ जून २०११ से क्य की भूमि पर नामान्तरण कराने का अधिकारी है।

५/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक २८४ अ-६/१४-१५ अपील में पारित आदेश दिनांक १४-९-२०१५ एंव अनुविभागीय अधिकारी दमोह द्वारा प्रकरण क्रमांक २७ अ-६/११-१२ में पारित आदेश दिनांक १९-१२-१४ तथा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख नजूल दमोह द्वारा प्रकरण क्रमांक १५९/अ-६/१०-११ में पारित आदेश दिनांक १२-९-११ श्रुतिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव मौजा दमोह नगर की नजूल शीट क्रमांक ४२ प्लाट नंबर २१४/१ में से रकबा ८३२ वर्गफुट पर विक्य पत्र के आधार पर आवेदक का नामान्तरण किया जाना स्वीकार किया जाता है।



सदस्य